संख्या-07/2018/696/अड़तीस-9-18-08(बजट)/2017

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक-24 जनवरी, 2019**

विषय-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों पर जी0एस0टी0 हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश सं0-25/2018/570/अड़तीस-9-18-08(बजट)/2017 दिनांक-26.10.2018 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-25/2018/570/अड़तीस-9-18-08(बजट)/2017 दिनांक-26.10.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में विधान सभा के 404 मा0 सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास हेतु कराये गये कार्यों पर जी0एस0टी0 हेतु 16160.00 लाख (रू0 एक अरब इकसठ करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि तथा विधान परिषद के 99 मा0 सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों पर जी0एस0टी0 हेतु कुल धनराशि रू0 3960.00 लाख (रू0 उन्तालीस करोड़ साठ लाख मात्र) अर्थात् विधान मण्क्ष्र के कुल 504 मा0 सदस्यों में से 503 मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास हेतु कराये गये कार्यों पर जी0एस0टी0 हेतु कुल धनराशि रू0 20120.00 लाख (रू0 दो अरब एक करोड़ बीस लाख मात्र) कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने का शासनादेश निर्गत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में निर्गत उपरोक्त शासनादेश दिनांक-26.10.2018 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित शर्तों को निरसित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्न शर्तों के अधीन प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि हेतु अनुमन्य अधिकतम रू0 2.00 करोड में से कराये गये वास्तविक कार्यों पर जी0एस0टी0 के रूप में जितनी धनराशि नियमानुसार देय होती है, उसकी प्रतिपूर्ति हेतु वांछित धनराशि जनपदों को दी जायेगी, जिसके सापेक्ष वास्तविक देय धनराशि कोषागारों से आहरित करके सम्बन्धित के बैंक खाते में जमा कराते हुए जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)-व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययियता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आगणित जी0एस0टी0 के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(4)-इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30-03-2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश संख्या-25/2018/570/अड़तीस-9-18-08(बजट)/2017 दिनांक-26.10.2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 की अशासकीय संख्या-यूओ-ई-2-1246/दस-18 दिनांक- 17 जनवरी, 2019 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 07/2018/696/(1)अड़तीस-9-18-08(बजट)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
13- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
14- निदेशक, बजट एवं विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
16- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।